संशोधन पत्र

संख्या-48/2025/I-915166/सा0-177/38-2-2025

001-38-2099-99-110-2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च 2025

विषयः- जनपद-अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी में पूर्व निर्मित जीर्ण-शीर्ण आवासीय भवन के पुनः निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या-30/2025/I-885609/सा0-227/38-2-2024-001-38-2099-99-110-2024, दिनांक 20 फरवरी, 2025 के द्वारा जनपद-अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी में पूर्व निर्मित जीर्ण-शीर्ण आवासीय भवन के पुनः निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अम्बेडकर नगर को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास उ0प्र0 के द्वारा आंकलित लागत रू0 315.95 लाख (रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख पच्चानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2025 में प्रश्नगत परियोजना की कुल लागत रू0 315.95 लाख त्रुटिवश अंकित हो गयी है।

2- अतः शासनादेश संख्या-30/2025/I-885609/सा0-227/38-2-2024-001-38-2099-99-110-2024, दिनांक 20 फरवरी, 2025 के प्रस्तर-1 में अंकित ''मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास उ0प्र0 के द्वारा आंकलित लागत रू0 315.95 लाख (रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख पच्चानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति'' के स्थान पर **''मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास उ0प्र0 के द्वारा आंकलित लागत रू0 392.03 लाख (रूपये तीन करोड़ बान्नवे लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति''** पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-48/2025/I-915166/सा0-177/38-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर।
7- कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
8- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अम्बेडकर नगर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
10- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड, अम्बेडकर नगर।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।